www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-10* *October 2025***

भारत–बांग्लादेश सीमा सुरक्षाः एक चुनौती एवं खतरे की आशंका

कुमारी अर्चना

शोधार्थी (यूजीसी नेट), राजनीति विज्ञान विभाग, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया

डॉ0 मोहम्मद जकारिया

शोध निदेशक, सहायक प्राध्यापक, सीनियर स्केल, राजनीति विज्ञान विभाग, के0बी0 झा कॉलेज, कटिहार, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया

सारांश– भारत–बांग्लादेश सीमा दक्षिण एशिया की सबसे जटिल और गतिशील सीमाओं में से एक है। विभिन्न स्थलाकृतियों और राजनीतिक इतिहास वाले राज्यों में फैली यह सीमा दोनों देशों के लिए सुरक्षा, मानवीय, पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दों का एक जटिल मिश्रण प्रस्तुत करती है। यह सीमा जो मुख्यतः 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से विरासत में मिली है, लगभग 4,096.7 किलोमीटर तक पाँच भारतीय राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम) में फैली हुई है, और नदी के मैदानों, आर्द्रभूमि और पहाड़ियों के मिश्रण से होकर गुजरती है। सीमा की लंबी और छिद्रपूर्ण प्रकृति, सामाजिक–आर्थिक विषमताओं, साझा जातीय–सांस्कृतिक संबंधों और विकसित होती क्षेत्रीय भू–राजनीति के साथ, सुरक्षा चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को जन्म देती हैः अवैध प्रवास और शरणार्थी प्रवाह (विशेषकर रोहिंग्या), तस्करी और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क, मानव तस्करी, नदी/ कटाव संबंधी सीमा विवाद, विवादित बाड़ लगाने के प्रयास, मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ, और सीमा बलों और स्थानीय आबादी के बीच कभी–कभी द्विपक्षीय तनाव ।

कुँजी– राजनीति, सीमा, सुरक्षा, पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक।

प्रस्तावना– भारत और बांग्लादेश ने सहयोग के लिए कई मंच विकसित किए हैंः विदेश मंत्रालय स्तर पर नियमित राजनीतिक संवाद, सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह, और उच्च–स्तरीय यात्राएँ जिनके माध्यम से सीमा पर बाड़ लगाने, अवैध प्रवास और विकास सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य जारी किए गए हैं। 2015 के भूमि सीमा समझौते ने व्यावहारिक समस्या समाधान के लिए एक मिसाल कायम की। संयुक्त तंत्रकृजैसे सीमा बलों के बीच हॉटलाइन, कुछ क्षेत्रों में संयुक्त गश्त, और संपर्क अधिकारियों का आदान–प्रदान, गलतफहमी को कम करने और सीमा पार अपराध या मानवीय स्थितियों पर प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने में मदद करते हैं। फिर भी, बाड़ लगाने को लेकर हालिया टकराव यह दर्शाते हैं कि तंत्र केवल उतने ही प्रभावी हैं जितनी राजनीतिक इच्छाशक्ति और स्थानीय समन्वय अनुमति देता है।

भारत का सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) केंद्रीय परिचालन निकाय हैं। दोनों बल सीमा पर गश्त, खुफिया जानकारी साझा करने और कभी–कभी संयुक्त अभियान चलाते हैं। पिछले दो दशकों में, संयुक्त प्रयासों ने विद्रोही समूहों के लिए पनाहगाह क्षेत्र को काफी हद तक कम कर दिया है और कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्थिरता की वापसी को संभव बनाया है। सीमा चौकियों पर फ्लैग मीटिंग, घटनाओं की संयुक्त जाँच प्रणाली और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त अभियान जैसे तंत्र परिचालन टूलकिट का हिस्सा हैं। हालाँकि, अविश्वास और तदर्थ टकराव, खासकर जब बाड़ लगाने जैसी नागरिक परियोजनाओं पर विवाद होता है, सैन्य–पुलिस सहयोग की सीमाओं को उजागर करते हैं। घटनाओं को कम करने के लिए नियमित विश्वास–निर्माण, निर्माण गतिविधियों के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल और नागरिक निगरानी का सुझाव दिया जाता है।

भारत ने सीमा पर स्तरित सुरक्षा में महत्वपूर्ण निवेश किया हैः जहाँ संभव हो, बाड़, फ्लडलाइट, निगरानी टावर, एकीकृत जाँच चौकियाँ (आईसीपी), आधिकारिक क्रॉसिंग पर बायोमेट्रिक आव्रजन प्रणालियाँ, वाहन अवरोध, और गश्ती क्षमताओं में वृद्धि। ये उपाय आधिकारिक क्रॉसिंग बिंदुओं पर नियंत्रण में सुधार करते हैं और कुछ प्रकार की अनियमित गतिविधियों

को कम करते हैं। फिर भी, प्रौद्योगिकी कोई रामबाण उपाय नहीं हैः इसे तैनात करना और बनाए रखना महंगा है, नदी या घनी वनस्पति वाले इलाकों में यह ठीक से काम नहीं कर सकती है, और प्रेरित आपराधिक नेटवर्क इसे दरकिनार कर सकते हैं। सूचना प्रणालियों को एकीकृत करने और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सीमा पार सहयोग, प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है ताकि शुद्ध लाभ प्रदान किया जा सके, न कि केवल प्रवाह को अधिक खतरनाक मार्गों पर स्थानांतरित किया जा सके।

भारत–बांग्लादेश सीमा प्रबंधन में एक व्यापक विषय कड़े सुरक्षा उपायों और सीमावर्ती समुदायों के सामाजिक–आर्थिक अधिकारों के बीच तनाव है। भारी बाड़, कंटीले तार और कठोर प्रवर्तन लंबे समय से चले आ रहे सीमा पार सामाजिक संबंधों को तोड़ सकते हैं और आजीविका (जैसे, सीमा पार चराई, सीमावर्ती हाटों में व्यापार) को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके विपरीत, अनुमेय सीमाएँ आपराधिक नेटवर्क और असुरक्षित जन आंदोलनों को बढ़ावा दे सकती हैं। इसलिए इष्टतम दृष्टिकोण मिश्रित हैः आपराधिक खतरों के विरुद्ध सुदृढ़, खुफिया जानकारी से प्रेरित प्रवर्तन; भूगोल के अनुकूल सावधानीपूर्वक लक्षित भौतिक उपाय (जैसे, चयनित भागों में बाड़ लगाना, परंतु नदी चैनलों में नहीं); मजबूत द्विपक्षीय परामर्श; तथा अवैध गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन को कम करने के लिए सीमावर्ती आबादी के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम।

मानवाधिकारों और मानवीय विचारों को सीमा नीति में मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए। मनमाने ढंग से नज़रबंदी, वापसी (जबरन वापसी), या बल का अनुपातहीन प्रयोग वैधता को कमज़ोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय निंदा को भड़का सकता है। भारत–बांग्लादेश का संदर्भ विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि सीमा पार साझा संस्कृति, पिछली परिक्षेत्र जटिलताओं और राज्यविहीन या कमज़ोर समूहों (जैसे, रोहिंग्या) की उपस्थिति है। सीमावर्ती घटनाओं की स्वतंत्र जाँच के तंत्र, शरण चाहने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय, और दीर्घकालिक निवासियों के लिए बेहतर दस्तावेजीकरण सुरक्षा और अधिकारों के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत–बांग्लादेश सीमा दक्षिण एशिया की सबसे जटिल, संवेदनशील और महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक है। लगभग 4,096 किलोमीटर तक फैली और पाँच भारतीय राज्यों तथा छह बांग्लादेशी संभागों से होकर गुज़रने वाली सीमा, नदी क्षेत्रों, बाढ़ के मैदानों, जंगलों और घनी आबादी वाले कृषि क्षेत्रों का मिश्रण, अद्वितीय सुरक्षा, मानवीय और शासन संबंधी चुनौतियाँ पैदा करती है (गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द.क., द्वितीयक स्रोत)।

हाल के दशकों में भारत–बांग्लादेश सीमा कई सुरक्षा चिंताओं का केंद्र रही है, जिनमें आपराधिक (तस्करी, मानव तस्करी), राजनीतिक (उग्रवाद, कट्टरपंथ), मानवीय (शरणार्थी प्रवाह), और मानवाधिकार आयाम (न्यायिक हत्याओं और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप) शामिल हैं। यह निबंध सीमा पर प्रमुख खतरों की जाँच करता है, उन खतरों के संरचनात्मक और परिचालनात्मक कारकों का विश्लेषण करता है, दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों द्वारा उन्हें कम करने के लिए अपनाए गए उपायों की समीक्षा करता है, और एक अधिक सुरक्षित, मानवीय और सहयोगात्मक सीमा व्यवस्था बनाने के लिए नीतिगत और परिचालनात्मक सुझाव प्रस्तुत करता है।

अनियमित सीमा पार आवाजाही एक सतत चुनौती रही है। प्रवास कई रूप लेता है –आर्थिक प्रवासी, कृषि कार्य की तलाश में आने वाले लोग, और उत्पीड़न या संकट से भागने वाले लोग। इस क्षेत्र में रोहिंग्या संकट एक प्रमुख मानवीय और सुरक्षा तनाव का कारण रहा हैः 2017 के बाद लाखों लोग म्यांमार से कॉक्स बाजार (बांग्लादेश) भाग गए, जिससे लंबे समय तक शरणार्थी शिविर और क्षेत्रीय मानवीय तनाव (यूएनएचसीआर/संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां) बने रहे। बड़ी, बिना दस्तावेज वाली शरणार्थी आबादी की उपस्थिति सुरक्षा संबंधी मुद्दों को जन्म देती है और भारत तथा बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में कभी–कभार सीमा पार आवाजाही होती है, जिससे पुलिस व्यवस्था और मानवीय प्रतिक्रिया जटिल हो जाती है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अनियमित आवाजाही में आतंकवादी या हथियार तस्कर भी शामिल हो सकते हैं जो गुप्त आवाजाही के मार्गों का फायदा उठाते हैं। भारतीय अधिकारियों ने समय–समय पर घुसपैठ के प्रयासों की सूचना दी है और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश के सीमा बलों से सहयोग मांगा है। बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन या अस्थिरता के दौरान अक्सर तनाव बढ़ जाता है, जिससे सीमा पार आवाजाही बढ़ सकती है और द्विपक्षीय समन्वय जटिल हो सकता है। भारत और बांग्लादेश ने नियमित सीमा कूटनीति को संस्थागत रूप दिया है। दोनों देश सीमा समन्वय सम्मेलन (बीसीसी), ध्वज बैठकें और संयुक्त कार्य समूह आयोजित करते हैं जो बाड़ विवादों, निकासी प्रोटोकॉल, संयुक्त गश्त, खुफिया जानकारी साझा करने और स्थानीय शिकायतों का समाधान करते हैं। 39वां सीमा समन्वय सम्मेलन और उच्च–स्तरीय आदान–प्रदान राजनीतिक बदलावों के बीच भी संवाद के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। ऐसे तंत्र तनाव कम करने और व्यावहारिक समस्या समाधान की अग्रिम पंक्ति हैं। द्विपक्षीय सहयोग ने व्यावहारिक परिणाम दिए हैंः संयुक्त निरीक्षण, छिटपुट घटनाओं से निपटने के लिए सहमत प्रोटोकॉल, अवैध प्रवासियों और सीमा पार फंसे लोगों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल, और विशिष्ट आपराधिक गतिविधियों से निपटने में सहयोग।

भारत–बांग्लादेश सीमा सुरक्षा चुनौतियों का एक ऐसा समूह प्रस्तुत करती है जिसका समाधान किसी एक नीतिगत

समाधान से नहीं किया जा सकता। भूगोल, इतिहास, सामाजिक–आर्थिक संबंध, क्षेत्रीय विस्थापन संकट (विशेषकर रोहिंग्या), आपराधिक नेटवर्क और जलवायु परिवर्तन मिलकर इस सीमा को एक गतिशील, कभी–कभी अस्थिर क्षेत्र बनाते हैं। अब तक की प्रगतिकृ 2015 सीमा समझौते जैसे राजनयिक समझौते, बीएसएफ बीजीबी के बीच बेहतर सहयोग, उग्रवादियों के ठिकानों के खिलाफ संयुक्त परिचालन सफलताएँकृसहयोग के माध्यम से संभव लाभों को दर्शाती हैं। फिर भी, बाड़ लगाने के विवादों और जारी मानव तस्करी के हालिया घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि अभी भी पर्याप्त जोखिम बने हुए हैं।

एक दूरदर्शी दृष्टिकोण में विश्वसनीय, खुफिया–आधारित प्रवर्तन को संवाद, मानवाधिकार सुरक्षा उपायों, सीमावर्ती समुदायों के विकास और क्षेत्रीय मानवीय सहयोग के साथ जोड़ना होगा। केवल एक संतुलित रणनीतिकृजो सीमा की भौतिक वास्तविकताओं और उससे जुड़े मानव जीवन के प्रति संवेदनशील होकृमानवीय और कानूनी दायित्वों को निभाते हुए भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए स्थायी सुरक्षा प्राप्त कर सकती है।

निष्कर्ष– भारत–बांग्लादेश सीमा एक ऐसे अंतर्संबंध का प्रतीक है जहाँ सुरक्षा, वाणिज्य, मानवाधिकार और मानवीय चिंताएँ एक–दूसरे से जुड़ती हैं। तस्करी और मानव तस्करी से लेकर उग्रवादी शोषण और मानवीय पीड़ा तक, खतरे वास्तविक और बहुआयामी हैं। भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय समन्वय, बुनियादी ढाँचे और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से सार्थक प्रगति की है; फिर भी भूगोल, आर्थिक प्रोत्साहन, शासन संबंधी कमियों और ऐतिहासिक शिकायतों में निहित समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। एक टिकाऊ दृष्टिकोण के लिए एक समग्र रणनीति की आवश्यकता होती हैः एक ऐसी रणनीति जो मज़बूत, अधिकारों का सम्मान करने वाले प्रवर्तन को विकास और व्यापार उपायों के साथ जोड़ती हो जो अवैध प्रोत्साहनों को कम करते हों; संयुक्त खुफिया और कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करती हो; जब भी कोई घटना घटित हो, दोनों पक्षों को पारदर्शी जाँच के लिए प्रतिबद्ध करता है; और मानवीय एवं शरणार्थी संरक्षण को सुरक्षा गणना में एकीकृत करता है। केवल कठोर क्षमता को मृदु शक्ति (विकास, सामुदायिक सहभागिता, कानून का शासन) के साथ जोड़कर ही दोनों देश सीमा को तनाव के स्थल से सहकारी स्थिरता और साझा समृद्धि के स्थल में बदल सकते हैं।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1. घोष, पी.एस. (2016) 'दक्षिण एशिया में प्रवासी, शरणार्थी और राज्यविहीन', सेज, नई दिल्ली
2. बनर्जी, पी., चौधरी, एस., और पटनायक, एस. एस. (सं.)। (2011)। 'अस्थिर जनसंख्या, चिंतित राज्यः दक्षिण एशिया में मिश्रित और विशाल जनसंख्या प्रवाह'। रूटलेज, लंदन।
3. चौधरी, एस., और मजूमदार, एस. (सं.) (2017) 'पूर्वोत्तर की भारतीय अर्थव्यवस्थाः क्षेत्र की स्थिति'। रूटलेज, लंदन।
4. गेलनर, डी., फाफ–ज़ारनेका, जे., और वेल्प्टन, जे. (सं.)। (1997)। 'एक हिंदू साम्राज्य में राष्ट्रवाद और जातीयता' (तुलनात्मक सीमा संदर्भ)। रूटलेज, लंदन।
5. रे, ए. (2015) 'पूर्वोत्तर भारत में सीमा पार प्रवास और संघर्ष'। पैल्ग्रेव मैकमिलन, पेल्ग्रेव।
6. बनर्जी, पी., और चौधरी, एस. (सं.) (2016) 'भारत के पूर्वोत्तर में महिलाएँ, गतिशीलता और असुरक्षा'। रूटलेज, लंदन।
7. हुसैन, एम. (2000) 'राज्य, पहचान और हाशिये परः पूर्वोत्तर भारत में मुद्दे'। आकांक्षा, नई दिल्ली।
8. चक्रवर्ती, पी. (2019) 'सीमावासीः भारत–बांग्लादेश सीमा के पार जीवन' । ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
9. घोष, ए. (2016) 'सीमा पारः बंगाल में प्रवास पर कहानियाँ और निबंध' । ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।

10. सेन, जे., और क्रॉस, एस. (सं.) (2015) 'पुल, बाड़ और दीवारें: दक्षिण एशिया में सीमाओं पर बातचीत'. सेज, नई दिल्ली।

Cite this Article

'कुमारी अर्चना; डॉ0 मोहम्मद जकारिया,' "भारत–बांग्लादेश सीमा सुरक्षा: एक चुनौती एवं खतरे की आशंका", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:10, October 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i1000012

Published Date- 04 October 2025